

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक- २५०/१५

पटना, दिनांक- 16/01/2018

प्रतिलिपि :- प्रधाम सचिव, उद्योग विभाग, बिहार पटना के सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक- २५०/१५

पटना, दिनांक- 16/01/2018

प्रतिलिपि :- महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया/मुजफ्फरपुर/नालन्दा/भागलपुर/जमुई को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक- २५०/१५

पटना, दिनांक- 16/01/2018

प्रतिलिपि :- जिला खादी ग्रामोद्योग पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला कार्यालय, गया/मुजफ्फरपुर/नालन्दा/भागलपुर/मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

15/01/18

३२५
16/1/18

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
महेश भवन, पूर्वी गांधी मैदान पटना -4

कार्यालय आदेश

संचिका संख्या-खा0/पुर्न0/233/2016-17

उद्योग विभाग संकल्प ज्ञा0 सं0-566 पटना, दिनांक-17.02.2017 द्वारा खादी पुर्नरुद्धार योजनान्तर्गत बिहार में स्थित खादी संस्था/समितियों जो तसर (रेशमी) सूत कटाई का कार्य करती है, उनके बीच 600 (छः सौ) नग कटिया चरखा वितरित किया गया है।

02. उक्त संकल्प के अनुसार 600 नग कटिया चरखा वितरण किये जाने के उपरान्त पुनः 600 कटिया चरखा बिहार स्थित खादी संस्था/समिति के माँग पर वितरण किये जाने के प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना से अनुमोदन प्राप्त है।

03. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अनुमोदनोपरान्त उद्योग विभाग संकल्प ज्ञापांक सं0-566 पटना, दिनांक-17.02.2017 के कंडिका-05 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार निम्नलिखित संस्था/समितियों को 280 नग कटिया चरखा क्रय किये जाने हेतु कटिया चरखा की कीमत (प्रति चरखा 4275/-) का 50% रू0-5,98,500/- (पाँच लाख अन्तानवे हजार पाँच सौ रूपये) मात्र भुगतान करने की स्वीकृति दी जाती है।

क्र0	संस्था/समिति का नाम	आवंटित चरखा की संख्या	प्रति चरखा कीमत	चरखा की कुल कीमत	स्वीकृत राशि (चरखा की कुल कीमत का 50%)
1	ग्राम निर्माण मण्डल, जयप्रकाश नगर, बुनियादगंज, गया	50	4275.00	213750.00	106875.00
2	मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, केन्द्रिय वस्त्रागार, सर्वोदय ग्राम, मुजफ्फरपुर -2	20	4275.00	85500.00	42750.00
3	सर्वोदय आश्रम, ग्राम-बलवापुर, पो0-अस्थावॉ, जिला-नालन्दा	40	4275.00	171000.00	85500.00
4	भागलपुर शिल्क खादी समिति, ग्राम-बड़गॉव, पो0-दरियापुर, थाना-सजौर, भागलपुर	45	4275.00	192375.00	96187.50
5	सजौर शिल्क खादी समिति, ग्राम+पो0+थाना-सजौर, जिला-भागलपुर	45	4275.00	192375.00	96187.50
6	तसर खादी विभर्स समिति, फाड़ी गली, नाथनगर चौक, नाथनगर, भागलपुर	45	4275.00	192375.00	96187.50
7	आदर्श महिला विकास सहयोग समिति लि0, जगन्नाथ सुड़ी लेन, मन्दरोजा, भागलपुर	20	4275.00	85500.00	42750.00
8	विकास समिति, कार्यालय-प्रभावती ग्राम, जमुई	15	4275.00	64125.00	32062.50
कुल :-		280		1197000.00	598500.00

04. उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान खादी पुर्नरुद्धार योजना में प्राप्त ब्याज की राशि से की जायेगी।

05. संस्था/समिति के अध्यक्ष/मंत्री को निदेश है कि संकल्प ज्ञा0 सं0-566 पटना, दिनांक-17.02.2017 के कंडिका 03 में दिये गये शर्त के अनुसार ही कटिया चरखा क्रय करेंगे।

- (i) संस्था को कटिया चरखा के लिये 90% अनुदान की राशि दी जायेगी तथा चरखा के कीमत का 10% राशि मार्जिन के रूप में खादी संस्था/समितियों को स्वयं वहन करना होगा।
- (ii) कटिया चरखा का गुणवत्ता (Specification) निम्न प्रकार होगी—
- (क) कटिया चरखा लोहे एवं आयरन का बना हो।
 - (ख) यह पैरों से चलने वाला (पैडल ऑपरेटेड) हो।
 - (ग) चरखा का कार्य क्षमता 8 घंटे में कम से कम 200 से 250 ग्राम रेशमी सूत का कटाई करता हो।
 - (घ) कटिया चरखा से कम से कम रू० 175-200 प्रतिदिन मजदूरी के रूप में कतिनों को प्राप्त होता हो।
 - (ङ) चरखा का वजन कम से कम 24 किलोग्राम का हो।
- (iii) खादी संस्थाओं द्वारा अपने स्तर से कटिया चरखा के गुणवत्ता एवं उपयोग से स्वयं संतुष्ट होकर ही चरखा का क्रय किया जायेगा।
- (iv) खादी संस्था/समिति को बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आवंटित चरखा के कीमत का 50% राशि उपलब्ध कराया जायेगा। कटिया चरखा के संचालन के बाद इसकी गुणवत्ता (Specification) की जाँच खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा तथा जाँच के बाद ही शेष 50% राशि का भुगतान किया जायेगा।
- (v) खादी संस्थाओं को राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में सीधे RTGS/NEFT के माध्यम से बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना द्वारा किया जायेगा।
- (vi) कटिया चरखा के क्रय स्थापना एवं संचालन से संबंधी सूचना खादी संस्थाओं द्वारा बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

ज्ञापांक— २५४/१५

पटना, दिनांक— 16/01/2018

प्रतिलिपि :—उपर्युक्त सभी संस्था/समिति के अध्यक्ष/मंत्री को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक— २५४/१५

पटना, दिनांक— 16/01/2018

प्रतिलिपि :—राज्य निदेशक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, भेटनरी कॉलेज, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

ज्ञापांक— २५४/१५

पटना, दिनांक— 16/01/2018

प्रतिलिपि :—उप मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक लेखा पदाधिकारी (प्र०)/सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुनरुद्धार योजना सह अंकेक्षण)/प्रभारी सहायक (खादी पुनरुद्धार योजना)/निजी संचिका एवं गार्ड संचिका को आवश्यकतार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

02. सहायक लेखा पदाधिकारी (खादी पुनरुद्धार योजना सह अंकेक्षण) को निदेश है कि कटिया चरखा आवंटित किये गये संस्था/समिति के खाते में स्वीकृत राशि को RTGS/NEFT के माध्यम भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।